ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

ासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

वान :– विविध प्रकारण संख्या 147/2023 नया (850/2018 पुराना)

. गुरूद्वारा श्री नानक दरबार चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये सेवादार गोविन्द सिंह पुत्र श्री अमरसिंह निवासी चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. मलकीत कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह
2. परमजीत सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह
3. सन्तोख सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह
4. तेज कोर पत्नी स्व. श्री गुरजंट सिंह
5. चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरजंट सिंह
6. सरबजीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरजंटसिंह
7. राजविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री गुरजंटसिंह
8. गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री गुरजंटसिंह
9. नसीब कौर पुत्री स्व. श्री चनन सिंह
10. सोनी सिंह पुत्र सव. श्री कलवंत सिंह
11. बहादर सिंह पुत्र स्व. श्री कलवंत सिंह
12. कलवंत सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह
13. ईश्वर सिंह पुत्र श्री राजवन्त सिंह
14. सुखपाल सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह
15. निर्मल सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह
16. कृपाल सिंह पुत्र श्री केहर सिंह
17. परमजीत कौर पत्नी बुटासिंह
18. परविन्द्र कौर पत्नी जगराज सिंह
19. गुरमिन्द्रपाल सिंह पुत्र हरदीप सिंह

कौम जटसिख निवासीयान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– –अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री विजय कुमार भाटी – – अप्रार्थी संख्या 1 ता 11, 13
3. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता – –अप्रार्थी संख्या 16 के वारिसान, एवम् अप्रार्थी 17, 18
4. पैरोकार राज – –अप्रार्थी संख्या 20

अप्रार्थी संख्या 12, 14 व 15 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2019 को एवं अप्रार्थी संख्या 19 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–29.10.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 9/24 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 23/(0.126 हैक.), 24(0.253 हैक.), 25(0.253 हैक.) कुल 0.632 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी (गुरूद्वारा श्री नानक दरबार के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज हैक. चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/24 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 11/7 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2(0.012 हैक.), 6/1(0.013हैक.), 15/20.013हैक.), 16/1 (0.013 हैक.), 25/2(0.012 हैक.)= 0.063 हैक. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2(0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2(0.012 हैक.), 4/2(0.013 हैक.), 5/2(0.012 हैक.)= 0.063 हैक. कुल 0.126 हैक. नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/24 के मुरब्बा नम्बर 11 (0.449 हैक.), मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5/3(0.013हैक.), 6/1(0.013 है), 15/3(0.013 हैक.). 16/2(0.012 हैक.) = 0.051 हैक. नहरी कुल 0.500 हैक्टयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 13 (ईश्वर सिंह पुत्र राजवन्त सिंह) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/24 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 15/1 की 0.190 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 14 व 15 (सुखपालसिंह, निर्मलसिंह पि. तेजासिंह) के नाम से दर्ज है तथा चक 10 क्य तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39/24 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5/1(0.228 हैक.), 6/2(0.240 हैक.) कृषि भूमि अप्राया संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज है तथा चक 10 क्यू के खाता संख्या 12/6 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5(0.241 हैक.), 6(0.139 हैक.) कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 18(परविन्द्र कौर पत्नी जगराज सिंह) के नाम दर्ज है, एवं मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 15/1 (0.127 हैक.), 25 (0.241 हैक.) कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 18 (परमजीत कौर पत्नी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बुटासिंह) के नाम दर्ज है व मुरब्बा नबर 42 के किला नम्बर 16 (0.101 हैक.) कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 17 (कृपाल सिंह पुत्र केहरसिंहे) के नाम दर्ज है। चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7 व खाता संख्या 5/24, 39/24, 64/24, 12/6 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। चक 10 क्यू के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5 की बट तक सरकारी रास्ता के दससे आगे मरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फुट छोड़कर प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौडा तथा मरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 {मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर} प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौड़ा उतर से दक्षिण की ओर रास्ता में से विगत 15–20 वर्षो से गुरूद्वारा श्री नानक दरबार तथा अन्य काश्तकारो के रकबा में जाने के लिए की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार रास्ता चला आ रहा है इस रास्ता का प्रयोग कर गुरूद्वारा श्री नानक दरबार की कषि भूमि में कार्य करने वाले सेवादार एवं मुरब्बा नम्बर 48 के काश्तकार अपने अपने रकबा में आते जाते है तथा अपने अपने कृषि रकबा में पहुंचकर अपनी काश्त व रोजमर्रा के कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता का प्रार्थी व अन्य काश्तकार अपनी अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 08/07/2018 को अप्रार्थीगण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रास्ता स्वीकत करवाने का प्रस्ताव रखा तो अन्य अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने सिख धर्म अनुयायी होने के कारण श्री गुरूनानक दरवार के लिए बिना किसी प्रतिफल के अपने नाम दर्ज रकबा में रास्ता स्वीकृत करने में सहमती जाहिर की है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 19 रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने संयुक्त खाता संख्या 11/7 में मुरब्बा नम्बर 42 की कृषि भूमि दे दी है लेकिन अप्रार्थी संख्या 16 (कृपालसिंह पुत्र केहरसिंह) के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2 (0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2(0.013 हैक.), 4/2(0.013 हैक.) कृषि भूमि यथावत रखी जावे। इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्राथी नेकनीयत है। प्रार्थी रास्ता के सुखाधिकार को बहाल रखना चाहते हैं अन्यथा गुरूद्वारा श्री नानक दरबार के नाम दर्ज कृषि भूमि में जाने के लिए चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जावेगी। उक्त रास्ता के अलावा गुरूद्वारा श्री नानक दरबार के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आज से पूर्व रास्ता के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि –

(क) चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फूट छोड़कर प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 मिरला नम्बर के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर} प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौडा उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तथा चक 10 क्यू के खाता संख्या 14/7 में मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2 (0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2 (0.013 हैक.), 4/2(0.013 हैक.) में अप्रार्थी संख्या 16 (कृपाल सिंह पुत्र केहर सिंह) की कृषि भूमि यथावत रखी जावे अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 का रकबा कम किया जावे।

(ख). उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग). प्रार्थी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) जो अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की ओर से दिनांक 07.02.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फुट छोड़कर) प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर} प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौड़ा उतर से दक्षिण की ओर रास्ता विगत 15–20 वर्षों से गुरूद्वारा श्री नानक दरबार तथा अन्य काश्तकारो के रकबा में जाने के लिए पारस्परिक सहमति से की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार चला आ रहा है। इस मद में दर्शाया गया रास्ता का नजरी नक्शा पूर्णतः स्वीकार है। चक 10 क्यू के खाता संख्या 11/7 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 42 की 0.063 कृषि भूमि सिख धर्म अनुयायी होने के कारण श्रीगुरूनानक दरबार के लिए बिना किसी प्रतिफल के रास्ता हेतू दे दी है इसलिए खाता संख्या 11/7 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 के हिस्सा रकबा को कम किया जावे तथा कृपाल सिंह के नाम दर्ज रकबा में से मु0न0 48 के किला नम्बर 5/2 के रकबा में से रास्ता स्वीकृत किया जावे । कृपाल सिंह पुत्र केहरसिंह मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2 (0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2(0.013 हैक.), 4/2 (0.013 हैक.), का रकबा यथावत रखा जावे तथा किला नम्बर 5/2 के रकबा में से रास्ता स्वीकृत कर शेष भूमि कृपालसिंह के नाम रखी जावे तो पक्षकारान सहमत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उतरदातागण सिख धर्म के अनुयायी होने के कारण उक्त रास्ता की एवज में गुरूद्वारा श्री नानक दरबार से कोई भी प्रतिफल नहीं लेना चाहते है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 16 ता 18 द्वारा दिनांक 12.07.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य मिथ्या दर्ज होने के कारण स्वीकार नहीं है। गुरूद्वारा श्री नानकदरबार संस्थान मौका पर अस्तित्व में नहीं है और ना ही संस्थान में रजिस्टर्ड होने के सम्बंध में कोई सबूत प्रस्तुत किया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है और न ही गोबिन्द सिंह उक्त संस्थान का रजिस्टर्ड सदस्य/प्रतिनिधि है जिस कारण गोबिन्द सिंह को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीयान की भूमि चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 में स्थित है और मुरब्बा नम्बर 42 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि अप्रार्थीयान के नाम से दर्ज है और मौका पर फसल काश्त है। गरूद्वारा नानक दरबार की भूमि हेतु स्वीकृत रास्ता मु0नं0 41 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 से मु0नं0 48 तक जाता है को भी मौका पर चालू स्थिति में है। उक्त रास्ता मौका पर स्वीकृत एंव चालू होने की स्थिति में प्रार्थी का मन अप्रार्थी के रकबा में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकार नहीं है। मन अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित रास्ता स्वीकृत करने बाबत किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी गई है, जबकि मु0नं0 48 में प्रार्थी के रकबा हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता स्वीकृत एंव चालू स्थिति में है जिस कारण अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु मौका पर मु0नं0 41 के किला नं0 5, 6, 15, 16 व 25 में रास्ता स्वीकृत एंव चालू स्थिति में है। अकृषि योग्य रकबा एंव ढ़ाणी गुरूद्वारा संस्थान हेतु धारा 251 ए आर0टी0ए0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और न ही उक्त मामला में श्रीमान अदालत के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपास्त योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दाखिल दफतर फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से दिनांक 13.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 16 ता 18 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 18 ने गुरूद्वारा श्री नानक दरबार संस्थान के मौका पर अस्तित्व में नहीं होने के कथन अंकित किए है जो मिथ्या व आधारहीन है। अप्रार्थी संख्या 16 ता 18 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं ही गुरूद्वारा नानक दरबार की भूमि होने के कथन स्वीकार किया है तथा इस मद में विरोधाभासी कथन अंकित किये है। कपूर सिंह पुत्र वीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा चक 10 क्यू के मुरब्बा नबर 23, 24, 25 की 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 27/09/1975 द्वारा तत्कालीन सन्तबाबा सुरजीत सिंह वल्द सन्त बाबा श्री रतन सिंह जाति साधु उदासी निवासी चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर की प्रेरणा से गुरूद्वारा श्री नानक दरबार के निमार्ण हेतू दी गई तथा सन्त सरजीतसिंह सन्त बाबा रतन सिंह ने इस आराजी पर काफी रूपया खर्च करके गुरूद्वारा का निमार्ण किया हुआ है और काफी पेड़ पौधे टाली व पीपल आदि भी लगे हुए है और गुरूद्वारा में बिल्डिग का निमार्ण भी किया हुआ तब से उक्त गुरूद्वारा अस्तित्व में है तथा गुरूद्वारा की उक्त कृषि भूमि की देखरेख, गुरूद्वारा बिल्डिग का निमार्ण व मरम्मत भी किया प्रार्थी (गोविन्द सिंह द्वारा ही करवाया जा रहा है तथा प्रतिदिन पूजा अर्चना हो रही है तथा सिख धर्म के अनुयाइयों की धार्मिक संस्था होने के कारण विभिन्न अवसरो पर विशेष पूजा भी गांव, एरिया के प्रतिष्ठित लोगो द्वारा करवाई जाती है। चूंकि गुरूद्वारा एक धार्मिक संस्था है जिसकी सार संभाल व देखकर पाठी गोविन्द सिंह द्वारा की जा रही है तथा गुरूद्वारा के हितो की संरक्षा हेतू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान जी न्यायालय में प्रकरण संख्या 59/2003 भी प्रार्थी गोविन्द सिंह की मार्फत पेश कर वाद पत्र डिक्री करवाया गया था। चक 10 क्यू की सिख संगत कमेटी द्वारा गुरूद्वारा श्री नानक दरबार चक 10 क्यू का सेवादार प्रार्थी गोविन्द सिंह को नियुक्त किया हुआ है इसलिए नाबालिग धार्मिक संस्था गुरूद्वारा श्री नानक दरबार की ओर से प्रार्थी गोविन्द सिंह को प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्ण हक व अधिकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में मुरबा नम्बर 42 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज होने के मिथ्या कथन किए गए है प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने स्पष्टतः अंकित किया हुआ है कि चक 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 11/7 के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5/2(0.012 हैक.), 6/1(0.013 हैक.), 15/2(0.013 हैक.), 16/10.013 हैक.), 25/2(0.012 हैक.)= 0.063 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2(0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2(0.012 है), 4/2(0.013 हैक.) 5/2(0.012 हैक.)= 0.063 हैक. कुल 0.126 हैक. नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 16 के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जिसमें से मौका पर चल रहा रास्ता सार्वजनिक घोषित किया जाना है। उक्त रास्ता का मौका पर सार्वजनिक उपयोग हो रहा है तथा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सार्वजनिक पुलियो का भी निमार्ण किया हुआ है मौका पर चल रहे रास्ता से उतरदाता संख्या 16 ता 18 का कोई सम्बन्ध नहीं है केवल मात्र खाता संख्या 11/7 में अप्रार्थी संख्या 16 कृपाल सिंह सहकाश्तकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जबकि कृपाल सिंह के कब्जा काश्त की मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2 से 5/2 की 0.063 हैक. कृषि भूमि यथावत रखी जा रही है जिसका कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 16 ता 18 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में गुरूद्वारा नानक दरबार की भूमि हेतु स्वीकृत रास्ता मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 5, 6, 15,16, 25 से मुरब्बा नम्बर 48 तक चालू रास्ता होने के आधारहीन तथ्या व मिथ्या कथन किए है। श्रीमान जी द्वारा श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मंगवाई गई रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने की रिपोर्ट है। अतः जवाबवुल जवाब पेश कर निवेदन है कि श्रीगुरूनानक दरबार की ओर से रास्ता स्वीकृत हेतू पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फूट छोड़कर प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 (मुरबा नम्बर 47 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर) प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौड़ा उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा दिनांक 18.10.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार रकबा मन उतरदाता के नाम से दर्ज–होना स्वीकार है। चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फुट छोड़कर} प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर} प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता विगत 15–20 वर्षो से गुरूद्वारा श्री नानक दरबार तथा अन्य काश्तकारो के रकबा में जाने के लिए पारस्परिक सहमति से की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार चला आ रहा है । इस मद में दर्शाया गया रास्ता का नजरी नक्शा पूर्णतः स्वीकार है। चक 10 क्यू के खाता संख्या 11/7 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त के मुरब्बा नम्बर 42 की 0.063 कषि भूमि सिख धर्म अनुयायी होने के कारण श्रीगुरूनानक दरबार के लिए बिना किसी प्रतिफल के रास्ता हेतु दी हुई है इसलिए खाता संख्या 11/7 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 के हिस्सा रकबा को कम किया जावे। कृपाल सिंह पुत्र केहरसिंह मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2(0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2(0.013 हैक.), 4/2 (0.013 हैक.). 5/2 (0.012 हैक.)= 0.063 हैक. का रकबा यथावत रखा जावे तो उतरदाता सहमत है। मन उतरदाता संख्या 13 ईश्वरसिंह के नाम दर्ज खाता संख्या 5/24 के मुरब्बा नम्बर 11/0.449 हैक. व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5/3(0.013 हैक.), 6/1(0.013 हैक.), 15/3(0.013 हैक.), 16/2(0.012 हैक.)=0.051 हैक. कृषि भूमि सिख धर्म का अनुयायी होने के कारण श्रीगुरूनानक दरबार के लिए बिना किसी प्रतिफल के रास्ता हेतू दी हुई है इसलिए खाता संख्या 5/24 में मन अप्रार्थी संख्या 13 ईश्वर सिंह के मुरब्बा नम्बर 48 के रकबा रकबा को कम किया जावे व शेष मुरब्बा नम्बर 11 की 0.449 हैक. कुषि भूमि यथावत रखी जावे। जवाब पेश कर निवेदन है कि मन उतरदाता संख्या 13 सिख धर्म का अनुयायी होने के कारण उक्त रास्ता की एवज में गुरूद्वारा श्री नानक दरबार से कोई भी प्रतिफल नहीं लेना चाहते है। अतः पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके तथ्यानुसार चक 10 क्यू का खाता स. 5/24 मु.न.11 के किला न. 5 में .164 हैक. 6 में .253 हैक. 15/1 में 0.032 हैक. कुल 0.449 हैक. मु.न. 48 किला न. 5/3 में . 013 हैक. 6/1में . 013 हैक. 15/3 में .013 हैक. 16/2 .012 हैक. कुल .051 हैक. कुल 0.500 हैक. भूमि ईश्वरसिंह पुत्र राजवन्तसिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज हैा एवं खाता स. 11/7 मु.न. 42 किला ना 5/2 में .012 हैक. 6/1 .013 हैक. 15/2 में 16/1 मे.013 हैक. 25/2 में .012 हैक. कुल .063 हैक. मु.न. 48 में 1/2 में 012 हैक. 2/2 में .013 हैक. 3/2 में . 013 हैक. 5/2 में .012 हैक. कुल 0.063 है कुल योग 0.126 हैक. भूमि–कृपालसिंह पुत्र केहर सिंह 1/2 हिस्सा मलकीतकौर पत्नी जसवन्तसिहं परमजीतसिंह सन्तोखसिंह पि. जसवन्तसिंह गरजन्टसिंह पत्र चननसिंह नसीबकौर पुत्री चननसिंह सोनी बहादर पि. कलवन्तसिंह कलवन्तसिंह पुत्र कपुरसिंह ईश्वरसिंह पुत्र राजवन्तसिंह सुखपालसिंह निर्मलसिहं पि. तेजासिंह ब.हि.ब. 1/2 हि. जाति जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज है। बिन्दु स.2–प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। बिन्दु स. 3– मु.न. 42 व 48 में पूर्व में कोई रास्ता पूर्व में स्वीकृत नहीं है। बिन्दु स.4– अप्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो गुरुद्वारा नानक दरबार द्वारा से किसी भी प्रकार से कोई शाशि का मुगतान नहीं किया जायेगा। प्रार्थी के नाम मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता चक 10 क्यू का वाता स. 9/24 के मु.न. 48 के किला न. 23/2 में 0.126 हैक. 24–25 में 0.506 ने कुल 0.632 हैक. भूमि गुरुद्वारा नानक दरबार खातेदार दर्ज है। अतः वादी चक 10 क्यू का. मु.न.42 के किला न.5,6,15,16,25 भूमि मलकीत कौर वगैरा का सम्पूर्ण हिस्सा (.063 हैं) मु.न.48 के किला न. 5,6,15,16 ईश्वरसिंह पुत्र राजवन्तसिंह का (.051हैं) एक–एक विस्वा (कुल.114 हैक.) रास्ता सहमति से स्वीकृत कराना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ""जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 गांव 10 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा खाता संख्या 9/24 मुरब्बा नम्बर 49, खाता संख्या 10/24 मु.नं. 10,मु.नं. 20, खाता संख्या 10 (मजकूर) राज. सरकार मु.नं. 21, 48 , खाता संख्या 11–7 राज. सरकार मुरब्बा नम्बर 42, 48, खाता संख्या 12 (मजकूर) राज. सरकार मु.नं. 25, 26, 27, 42, खाता संख्या 5/24 राज. सरकार मुरब्बा नम्बर 11, 48, खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नम्बर 11, खाता संख्या 63(मजकूर) राज. सरकार मु.नं. 13, खाता संख्या 64/24 मु.नं. 20, खाता संख्या 64(मजकूर) राज. सरकार मु.नं. 21, 33, 34, 38,48, खाता संख्या 65/58 मु. न. 12, खाता संख्या 39/24 मुरब्बा नम्बर 20, 21, 48, खाता संख्या 40/23 मुरबा नम्बर 20, 34"" जमाबंदियों की प्रतियां पेश की।

वहस वकील उभयपक्ष सुन कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 10 फूट छोड़कर प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 मुरबा नम्बर 47 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 10 फुट से छोड़कर} प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौडा उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया गया तथा चक 10 क्यू के खाता संख्या 14/7 में मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1/2 (0.012 हैक.), 2/2(0.013 हैक.), 3/2 (0.013 हैक.), 4/2(0.013 हैक.) में अप्रार्थी संख्या 16 (कृपाल सिंह पुत्र केहर सिंह) की कृषि भूमि यथावत रखी जाने के आदेश दिये गये एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ता 15 का रकबा कम किये जाने के आदेश दिये गये।

अप्रार्थी परमजीत कौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.02.2023 में आदेश दिया गया कि " राजीनामा न्यायालय में उभय पक्ष की उपस्थिति में पढ़कार सुनाया गया एवं प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय राजीनामा की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मूल राजीनामा संलग्न कर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजीनामा के अनुरूप पुनः निर्णय पारित किया जावे।"

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण को पुनः दर्ज किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी एवम् वकील अप्रार्थी उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर राजीनामा पत्रावली पर पेश किया जा चुका है। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रकरण में राजीनामा दिनांक 25.09.2021 के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.02.2023 का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 25.09.2021 का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए राज. काश्त. अधि. स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए राज. काश्तकारी अधि. मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 10 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में { मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 की बट से 8 फुट फूट छोड़कर } प्रत्येक किला में एक–एक बिस्वा चौड़ा तथा मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 5–6–15–16 { मुरबा नम्बर 47 के किला नम्बर 1–10–11–20 की बट से 8 फुट 3 ईंच छोड़कर } प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा चौडा उतर से दक्षिण की ओर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता में आने वाली भूमि के बादले किसी प्रकार के मुआवजा की मांग नहीं की गई है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **29.10.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner